डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय A CENTRAL UNIVERSITY)

क्र. क्र.एवं भं./वर्दी सिलाई./2015/806 दिनांक: 20.01.2016

निविदा आमंत्रण

विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों की वर्दी सिलाई के लिए प्रतिष्ठित एवं अनुभवी टेलर्स/प्रतिष्ठानों/फर्मों से मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। मुहरबंद कोटेशन **सहायक कुलसचिव, क्रय एवं भण्डार अनुभाग (दूरभाष 07582–265808), डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर–470003** को **दिनांक 05.02.2016** अपराह्न 05:00 बजे तक केवल पंजीकृत/**स्पीड पोस्ट** से अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाने चाहिये। नियत तिथि के बाद प्राप्त होने वाले कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। उक्त तिथि व समय पर प्राप्त निविदाएं उसी दिन दिनांक **05.02.2016** को विश्वविद्यालय के कमेटी कक्ष में अपराह्न 05.30 बजे खोली जायेंगी। इच्छुक निविदाकर्त्ता उक्त समय पर उपस्थित हो सकते है। चाही गयी सामग्री का विवरण निम्नलिखित है :–

1. खाकी वर्दी :(सुरक्षा कर्मियों हेतु)

1.	आकार :सोल्डर(लुप्पी) एवं सामने 2 जेब मय ढक्कन के	कर्मचारी के नाप केअनुसार
2.	सिलाई धागा एवं अन्य मटेरियल	उत्तम क्वालिटी
3.	संख्या पेन्ट एवं शर्ट(फुल)	124 जोड़ी (शर्ट की जेब पर एम्ब्राइडरी से 'डॉ0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर लिखा होना चाहिए)
4.	आदेश प्राप्त होने के बाद डिलीवरी के लिए निर्धारित समय	30 दिन

2. नीली वर्दी : चतुर्थ श्रेणी/मल्टी टास्क स्टाफ

1.	आकार	कर्मचारी के नाप केअनुसार
2.	सिलाई धागा एवं अन्य मटेरियल	उत्तम क्वालिटी
3.	संख्या पेन्ट एवं शर्ट(फुल)	630 जोड़ी (शर्ट की जेब पर एम्ब्राइडरी से 'डॉ0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर लिखा होना चाहिए)
4.	आदेश प्राप्त होने के बाद डिलीवरी के लिए निर्धारित समय	30 दिन

20/1/16

3.ब्लाऊस :

1.	आकार	कर्मचारी के नाप केअनुसार
2.	सिलाई धागा एवं अन्य मटेरियल	उत्तम क्वालिटी
3.	संख्या	70 मात्र
4.	आदेश प्राप्त होने के बाद डिलीवरी के लिए निर्धारित समय	30 दिन

4.पेटीकोट :

1.	आकार	कर्मचारी के नाप केअनुसार
2.	सिलाई धागा एवं अन्य मटेरियल	उत्तम क्वालिटी
3.	संख्या	70 मात्र
4.	आदेश प्राप्त होने के बाद डिलीवरी के लिए निर्धारित समय	30 दिन

नियम व शर्तें –

1. महज न्यूनतम राशि के प्रस्ताव से टेलर्स/प्रतिष्ठानों/फर्मों को कार्यादेश प्राप्त करने का हक नहीं होगा। सक्षम समिति/प्राधिकारी किसी भी निविदा को विशिष्टताओं (Specifications) के अनुपालन, फर्म के कार्यानुभव, प्रामाणिक कार्यक्षमता, ब्रांड प्रतिष्ठा, अतिरिक्त/विशेष प्रस्ताव एवं उचित मूल्य के आधार पर चयनित करेगी। निविदाओं को केवल **स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक** से ही स्वीकार किया जायेगा। हाथों–हाथ /फैक्स / ई–मेल/ कोरियर आदि से प्रेषित निविदाओं स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2.निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. निविदा शुल्क रू. 200.00 (दो सौ रूपये मात्र) बैंक ड्राफ्ट अथवा विश्वविद्यालय कैशियर के पास नगद राशि जमा कर रसीद प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य है ।

4.सभी निविदाकर्त्ताओं को निविदा के साथ धरोहर राशि रु. 4000/–(रु .चार हजार मात्र) जमा करना अनिवार्य है। निविदा स्वीकृति के उपरान्त सफल निविदाकर्त्ता को कार्यादेश प्राप्त

करने से पूर्व प्रदत्त कार्य की कुल राशि का 10 प्रतिशत सुरक्षा राशि के रूप में कार्यालय में जमा करना होगा जिसे धरोहर राशि के साथ भी समायोजित की जा सकती है।

5.धरोहर राशि एवं सुरक्षा निधि बैंक मांग पत्र(Demand Draft) /फिक्स डिपाजिट रसीद के रूप में कुलसचिव, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के पक्ष में ही मान्य होगी।

6.तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दो अलग–अलग सीलबन्द लिफाफों में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उक्त दोनों निविदाओं(तकनीकी एवं वित्तीय) को एक सीलबन्द बड़े लिफाफे में रजि. या स्पीड पोस्ट से भेजना होगा।

7.तकनीकी निविदा में धरोहर राशि, सिलाई का नमूना, पूर्व में किए गए कार्यों का विवरण, उपलब्ध मशीनरी : आदि की उपलब्धता, सरकारी संस्थाओं के सिलाई कार्य करने के अनुभव का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। फर्म/व्यवसायी के पास पैन संख्या अवश्य होनी चाहिए।

8.वित्तीय निविदा में निविदाकर्त्ता भुगतान हेतु अपने बैंक खाते का पूर्ण विवरण अनिवार्यतः दें।

9.मुख्य दर में यदि कोई कर/छूट भी सम्मिलित है तो वित्तीय निविदा में उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये। स्पष्ट उल्लेख न होने पर करों को मुख्य दर में सम्मिलित समझा जायेगा।

10.कार्य के निष्पादन हेतु निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण न होने पर फर्म/मुद्रक/प्रकाशक को दण्ड स्वरूप प्रतिदिन कार्यादेश की राशि के 1 प्रतिशत की दर से अधिभार देना होगा। अधिकतम अधिभार की सीमा 5 प्रतिशत तक होगी।

11.विश्वविद्यालय के हित में, आवश्यक होने पर, कार्यादश में अतिरिक्त नियम व शर्तें जोड़ी जा सकती हैं।

12. विश्वविद्यालय किसी भी निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकारने/नकारने या किसी भी समय कम मूल्य का प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसे स्वीकार करने हेतु स्वतंत्र होगा। विशिष्टताओं में या अन्य किसी भी प्रकार के परिवर्तन/निरस्तीकरण का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

13. कोटेशन से संबंधित किसी विवाद की स्थिति में सभी विधिक मामलों की सुनवाई हेतु न्याय का क्षेत्राधिकार, सिविल न्यायालय, सागर होगा।

14. अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण कार्य का भुगतान देय नहीं होगा।

15. निविदा की नियम एवं शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्तें निविदा के लिए मान्य नहीं होगी।

16. सिलाई के पूर्व लिखित में नमूना/प्रूफ मान्य किया जाना वांछित है।

17. वर्दी सिलाई हेतु विश्वविद्यालय से संबंधित पुरूष कर्मचारी का नाप लेने हेतु कर्मचारी विश्वविद्यालय में उपलब्ध होगा।

18. कार्य निष्पादन हेतु किसी प्रकार की अग्रिम राशि देय नहीं होगी।

19. विश्वविद्यालय हित में किसी निविदा को पूर्णतः/आंशिक रूप से स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

20कार्य हेतु अनुमानित राशि रु. 2,00,000/–(रु. दो लाख मात्र) होगी जो कम या अधिक भी हो सकती है।

21तकनीकी रूप से उचित पायी गयी निविदाओं में से न्यूनतम दर वाली निविदा को ही कार्यादेश दिया जावेगा किंतु उसके पूर्व चयनित फर्म से कुल क्रयादेश राशि की दस प्रतिशत की सुरक्षा निधि राशि का धनादेश जो कि **''कुलसचिव, डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)''** के नाम देय होगा, जमा करना होगा। उक्त सुरक्षा निधि, कार्य पूर्ण होने के पश्चात 45 दिन में वापिस कर दिया जावेगा। यदि कार्य समय पर एवं गुणवत्ता पूर्वक न हुआ तो यह राशि जब्त कर ली जावेगी।

22. यदि चयनित निविदाकर्त्ता निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण करने में असमर्थ होता है, तो विश्वविद्यालय को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह इस कार्य को किसी अन्य टेलर्स/प्रतिष्ठानों/फर्मों से संपादित करवा सकता है। इस हेतु आयी अतिरिक्त लागत का भुगतान उक्त चयनित निविदाकर्त्ता द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि से समायोजित किया जा सकेगा।

23. सिलाई के उपरान्त वर्दी बिना किसी अतिरिक्त व्यय के संबंधित कर्मचारी को देना होगी।

24. निविदाकर्त्ता विश्वविद्यालय के उपर्युक्त सभी नियमों एवं शर्तों (24 बिन्दु) को स्वीकार करता है इस आशय की घोषणा (हस्ताक्षर एवं मुहर सहित) इस दस्तावेज की प्रति पर करनी होगी।

सहायक कुलसचिव
(क्रय एवं भण्डार शाखा)
21/1/16

कुलसचिव
डॉ.हरीसिंह गौर विश्व विद्यालय, सागर
20/1/16